हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

कार्यसूची

प्रथम सत्र

वीरवार, 11 जनवरी, 2018/21 पौष,1939 (शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. **साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य:**

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री, वर्तमान सप्ताह की शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य देंगे ।

2. **मन्त्री परिषद् का परिचय:**

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री, मन्त्री परिषद् का परिचय करवायेंगे ।

3. **स्वीकृत विधेयक सभा पटल पर रखे जाएंगे :**

सचिव, विधान सभा, निम्न विधेयकों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे, जिन्हें सदन द्वारा पारित किए जाने के उपरान्त महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है:-

1. हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 11);
2. हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 12); और
3. हिमाचल प्रदेश निरसन विधेयक, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 13) ।

4. कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगे :

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री, निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

(i) हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक, वर्ग-III (अराजपत्रित), लिपिक वर्गीय सेवाएं, सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या: पीईआर(एपी)-सी-ए(3)-3/2017 दिनांक 11.10.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 08.11.2017 को प्रकाशित;

(ii) हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, कनिष्ठ कार्यालय सहायक(सूचना प्रौद्योगिकी), वर्ग-III(अराजपत्रित), लिपिक वर्गीय सेवाएं, सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या:पीईआर(एपी)-सी-ए(3)-1/2007-II दिनांक 16.09.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 22.09.2017 को प्रकाशित;

(iii) हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, चालक, वर्ग-III (अराजपत्रित), सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या: पीईआर(एपी)-सी-ए(3)-4/2010 दिनांक 23.10.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 03.11.2017 को प्रकाशित;

(iv) हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, चौकीदार, वर्ग-IV (अराजपत्रित), लिपिक वर्गीय सेवाएं, सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या: पीईआर(एपी)-सी-ए(3)-6/2017 दिनांक 28.09.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 10.10.2017 को प्रकाशित; और

(v) हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन नियम, 2005 के नियम 7 के अन्तर्गत प्ररूप-5 ।

5. <u>अध्यादेश :</u>

(1) **श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री,** भारत के संविधान के अनुच्छेद 213(1) के परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, द्वारा दिनांक 09.10.2017 को प्रख्यापित, **हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास (संशोधन) अध्यादेश, 2017 (2017 का अध्यादेश संख्यांक 4)** की प्रति उन परिस्थितियों के स्पष्टीकरण के कथन सहित जिनके कारण उक्त अध्यादेश का प्रख्यापन आवश्यक हुआ, (हिन्दी-अंग्रेजी पाठ) सभा पटल पर रखेंगे ।

(2) **श्री बिक्रम सिंह, उद्योग मन्त्री,** भारत के संविधान के अनुच्छेद 213(1) के परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, द्वारा दिनांक 25.09.2017 को प्रख्यापित, **हिमाचल प्रदेश एकल खिड़की (विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण) अध्यादेश, 2017 (2017 का अध्यादेश संख्यांक 3)** की प्रति उन परिस्थितियों के स्पष्टीकरण के कथन सहित जिनके कारण उक्त अध्यादेश का प्रख्यापन आवश्यक हुआ,(हिन्दी-अंग्रेजी पाठ) सभा पटल पर रखेंगे ।

6. <u>उपाध्यक्ष के चुनाव हेतु प्रस्ताव :</u>

(1) **श्री सुरेश भारद्वाज,** निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि:-
"**श्री हंस राज, सदस्य,** हिमाचल प्रदेश विधान सभा को उपाध्यक्ष पद हेतु चुना जाए ।"

श्री विनोद कुमार प्रस्ताव का समर्थन करेंगे ।

(2) **श्री महेन्द्र सिंह,** निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि:-
"**श्री हंस राज, सदस्य,** हिमाचल प्रदेश विधान सभा को उपाध्यक्ष पद हेतु चुना जाए ।"

श्री किशोरी लाल प्रस्ताव का समर्थन करेंगे ।

7. **राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव-प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा:**

श्री राकेश पठानिया, निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे:

कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर निम्न शब्दों में उनकी सेवा में धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाए:-

"इस सदन में एकत्रित सदस्य, महामहिम राज्यपाल महोदय का, दिनांक 10 जनवरी, 2018 को उन्हें सम्बोधित करने के लिए, हृदय से आभार प्रकट करते हैं ।"

श्री इन्द्र सिंह, प्रस्ताव का अनुसमर्थन करेंगे ।

धर्मशाला-176215
दिनांक: 10 जनवरी, 2018

सुन्दर सिंह वर्मा,
सचिव ।

*****

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)